छब्बीस-२ सचिवालय

26/2/16

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बद्री प्रसाद साहू विषय:-विरुद्ध म०प्र0शासन एवं अन्य ।

> पंजी कमांक 682/16/36 दिनांक 26.02.2016 उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त याचिका

उच्च न्यायालय जबलपुर से. प्राप्त याचिका का अवलोकन करें ।

श्री बद्री प्रसाद साहू द्वारा याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 19542/15 उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई है, जिसमे जवाबदावा दिनांक 10.03.2016 के पूर्व प्रस्तुत किया जाना है। जिसकी प्रति मां उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा इस विभाग को प्रेषित की गई है।

अतः यदि मान्य हो तो प्रभारी अधिकारी नियुक्ति करने से संबंधित जानकारी नस्ती पर उपलब्ध कराने हेतु नस्ती संवालक मत्स्योद्योग को अंकित की जाना प्रस्तावित है।

P26/2

310310

34 मिय

Pros and

न्स्वर ॥६

26/2/16

26-216

का विभाग

P-1/2

3110 to 1675

2016 2016 12.11

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बद्री प्रसाद साहू छब्बीस-२ सचिवालय विरूद्ध म०प्र०शासन एवं अन्य । ्मूर्व पृष्ठ से -माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में श्री बद्री प्रसाद साहू विरुद्ध म०प्र० शासन एवं अन्य के प्रकरण में दायर याचिका क्रमांक 19542 / 2015 में शासन पक्ष प्रतिरक्षण हेतु संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है । संचालक मत्स्योद्योग मध्यप्रदेश प्रमुखं सचिव म.प्र.शासन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग मंत्रालय भोपाल 8/3/16 2011 आक्रम अनुमोहनार्व अरदात है। अस्म

10/3/16

इली

0

विषय :--

छब्बीस-२ सचिवालय

विषय:-याचिका कमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बद्री प्रसाद साहू विरुद्ध म0प्र0शासन एवं अन्य ।

का विभाग

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT

JABALPUR

Process Id: 14020/2016

WP/19542/2015

पंजी क्रमांक 682/2016 मछुआ कल्याण तथा मत्त्य विकास विभाग

merit and ir

Fixed for 10-03-2016

WP-DA-11

Respondent No. 1

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of

dicature

at Jabalpur

The State Of Madhya Pradesh, Secretary Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 27-01-2016

26/2/16

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19542/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Badri Prasad Sahu has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. WP/19542/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 10-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)

Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

मध्यप्रदेश शासन मधुआ कल्याण तथा मत्स्य विकःस विभाग मत्रालय, बल्लभ भवन, भोषाल ः आवेश ः

भोपाल, दिनांक ॥ - ३ - १६

क्रमांक एफ 22 09/2016/छत्तीस: सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम सख्याक 5) के आदेश रातााईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये सयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर को याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी 19542/15 श्री बदी प्रसाद साहू विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा उसकी और से प्रभारी अधिकारी के रूप मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में मध्यप्रदेश राज्य के लिये तथा कार्य करने, आवेदन करने और उप संजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि और उप संजात होने के लिये कार्य नियमायली में वर्णित कर्ताच्यों तथा उत्तरदायित्यों के मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विमाग, नियमायली में वर्णित कर्ताच्यों तथा उत्तरदायित्यों के उप उपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिनमें व्यारे नीवे कि मध्य है निन्नितिसन कार्य करेग

- (1) प्रभारी आंधकारी, गामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांव करेंगा जैसी कि आवश्यक हो और या विका में उठाय गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिलसे कि मामले के संवालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है रिर्पोट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था,तो उस विभाग की राय भी रिर्पोट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।
- (2) समस्त सुसंगत फाइले, दस्तावेज, नियम, अधिसूबनायें तथा आदेश एकत्रित करेगः
- (3) वादपत्र में याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे कि शासकीय अमिभाषक को सहायता पहुँचने की संभावना है एक रिपौट तैयार करेंगा।
- (4) एवत रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सपर्क करेगा।
- (5) शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायेगा।
- (ह) प्रभाश अधिकारी निम्नलिखित कामजात पत्र भेजेगा : -
 - व । १५५७ की एक प्रति के साथ संस्कार की रिपोर्ट ।
 - (ख) । प्रस्तावित लिखिल कथन का एक प्रारूप।
 - (n) उन सभी वस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - धि सप्पले के विश्वदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ, इसमें वाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए,।
- (7) गामले के तैयारी और सचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और गामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वंय को सदैव ही अवगत रखना ।
- (8) अब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया आटा तब विश्वि विमाग को सूचित करना तथा असकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- 9 प्राप्त स्थिति के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगला कार्यवाही फारा जाने क लिय इस विभाग की भेजोंगे.
- (10) यह दखना कि जानदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रियार्ट बनाने,राय प्राप्त करने और इसकी सूबना देने में रामय नष्ट नहीं हो ।

1/2//

जैसे ही उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेंगा, जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया

प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छपी हुई नहीं रह जाए।

प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है, तो वह, जैसे ही वाद की विनिश्चय होता है पारिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है, तो वह, इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रक्रम में पारित किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह उस आदेश के प्रति, जैसे ही पारित किया जाए, विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(15) प्रभारी अधिकारी मामले में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील/रिवीजन पेश करने के लिये भी प्रभारी अधिकारी रहेंगे और उनका यह कर्तव्य रहेंगा कि वे यह प्रयास करें कि समय पर अपील / रिवीजन पेश करने की अनुमति मिल जायें और विहित अवधि में

अपील / रिवीजन पेश हो जायें। (प्रमुख सचिव द्वारा अनुमोदित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> 02W 11/3/16 (कलिस्ता कुजूर) अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन 🕸 मेछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 11-3-16

पु०कमाक एफ 22-09/2016/छत्तीस प्रतिलिपि :-

- सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,भोपाल।
- 2 संवालक, मत्स्योद्योग, मध्यप्रदेश भोपाल ।

3 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर म0प्र0,

कलेक्टर जिला ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

5- संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग जबलपुर (प्रभारी अधिकारी) की ओर अग्रेषित साथ ही शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण-पत्र प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करने तथा अपनी प्रत्येक भेट पर शासकीय अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामलें में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ उसे उसके विभागाध्यक्ष को भेजने हेत् अग्रेषित। मामलें की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति इस विभाग के साथ विधि विभाग को सदैव ही भेजनी चाहिए,वाद पत्र की एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी 0001113116 जाए ।

> अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन मर्छुओं कल्याण तथा मत्स्य विकास